

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

25 पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया अनुपस्थित,  
तहसीलदार माण्डल से ऑफिसिटी प्राप्त हुई जिसे  
शा-पठ किया गया। वादीया एवं वादिया के अधिवक्ता  
को क्रक-क्रक कर तीन बार आवाजे दिलायी जाने  
के बाद भी उपस्थित नहीं, वकील वादिया के अनुपस्थित  
रहने से वादिया का वाद पत्र अदम हाजरी। अदम  
पैखी में खारीज किया जाता है पत्रावली फंसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल, जिला-भीलवाड़ा